इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अगस्त 2015—श्रावण 19, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-7-2011-एक-4 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यांचल अधिवास नियम, 2015

नियम 1 : संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश भवन अधिवास नियम, 2015 कहलायेंगे.

(2) ये नियम अधिसूचित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

नियम 2 : परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''भवन'' से अभिप्रेत है कि नई दिल्ली में स्थित मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल तथा मुंबई स्थित ''मध्यालोक''

(ख) ''आवासीय आयुक्त'' से अभिप्रेत है, नई दिल्ली में पदस्थ आवासीय आयुक्त, जो मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल, नई दिल्ली एवं मध्यालोक, मुंबई के प्रभारी हों:

(ग) कर्तव्य पर प्रवास से अभिप्रेत है—

(1) मध्यप्रदेश शासन के शासकीय कार्य से या प्रशिक्षण पर प्रावस; अथवा
(2) मध्यप्रदेश विधान सभा या उसकी किसी समिति के कार्य के प्रवास; अथवा
(3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्य के प्रवास.

(घ) (1) ''कक्ष'' से अभिप्रेत है, इन भवनों का कोई कक्ष.

(2) चिन्हांकित (ईयर मार्क) कक्ष से अभिप्रेत है, भवन का कोई कक्ष जो किसी पद विशेष हेतु व्यवस्थापित हो.

(ङ) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन.

नियम 3 : भवन में अधिवास की सामान्य व्यवस्था– भवन मूलतः परिशिष्ट–1 में दर्शाये व्यक्तियों एवं राज्य शासन के राजपत्रित सेवकों के उपयोग के लिये है जब वे नई दिल्ली में कर्तव्य से प्रवास पर आये हों। भवनों का उपयोग कक्ष उपलब्धता के आधार पर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय सेवकों एवं व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

नियम 4 : कर्तव्य पर प्रवास पर आये व्यक्तियों का अधिवास – (1) नई दिल्ली में कर्तव्य पर प्रवास पर आये व्यक्तियों को भवन में समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी शिष्टाचार वरीयता सारणी (order of precedence) के अनुरूप "प्रथम आये प्रथम पाये" सिद्धान्त के आधार पर अधिवास का अधिकार होगा।

(2) नई दिल्ली में कर्तव्य पर आये परिशिष्ट–एक में दर्शाए व्यक्तियों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय सेवकों को कक्ष उपलब्धता के आधार पर कक्षों में निःशुल्क ठहरने की पात्रता होगी।

(3) एक व्यक्ति (अपने परिवारों के सदस्यों सहित, यदि वह साथ हों) को केवल एक कक्ष आवंटित किया जावेगा। भवनों में परिवार सहित न आने पर कक्षों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में कक्ष साझा भी करना होगा।

(4) भवन में ठहरे किसी अधिवासी के जाने के बाद केवल उसके परिवार के सदस्यों, जो पहले से साथ में कक्ष में अधिवास कर रहें हों (अन्य किसी को नहीं) को कक्ष में 24 घन्टे से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं रहेगी। इस अवधि के बाद उनसे परिशिष्ट–3 में दर्शाई दरों से किराया लिया जावेगा एवं कक्ष खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(5) शासकीय सेवकों को भवन में एक समय में अधिकतम 7 दिन तक ठहरने की पात्रता होगी, इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिये मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी।

(6) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन की संभावना पर आवासीय आयुक्त को आवश्यकतानुसार कक्षों को आरक्षित रखने का अधिकार होगा।

(7) केन्द्र शासन/मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर मध्यप्रदेश के निवासियों को देश/विदेश आपदा के समय दिल्ली से मध्यप्रदेश जाने के लिये पारागमन आवास (Transit Accommodation) की निःशुल्क पात्रता होगी।

नियम 5 : विशेष श्रेणी के अतिथियों का अधिवास – नियम 4 में उल्लेखित अतिथियों की मांग पूर्ति के उपरान्त परिशिष्ट–2 में उल्लेखित अतिथियों को भवन में कक्ष उपलब्धि के अधीन, उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई शर्तों, निबंधों व शुल्कों की दरों के अनुसार अधिवास की पात्रता होगी।

नियम 6 : पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों के अधिकारियों का अधिवास – पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर अन्य राज्यों के अधिकारियों को उपलब्धता होने पर भवन में ठहरने की अनुमति होगी। शुल्क की दरें परिशिष्ट–3 के अनुसार देय होगी।

नियम 7 : स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर आये शासकीय अधिकारियों का अधिवास –

(क) राज्य शासन के ऐसे अधिकारीगण जो केन्द्र शासन में स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर आते है उन्हें आवास व्यवस्था होने तक भवन में अधिवास की पात्रता होगी। उनसे शासकीय आवास का आधिपत्य लेने के दिनांक तक वही किराया लिया जायेगा, जो उन्हें केन्द्र शासन से देय है। किसी भी स्थिति में भवन के बाहर अन्यत्र कक्ष किराये पर लेकर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(ख) केन्द्र शासन द्वारा आवास व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर, आवास गृह का आधिपत्य प्राप्त होने के उपरांन्त एक माह तक अधिपत्य के पूर्व केन्द्र शासन से प्राप्त गृह किराये के समतुल्य किराये की राशि देय होगी।

(ग) आवास का आधिपत्य लेने पर एक माह की अवधि पूर्ण होने पर परिशिष्ट–3 में दर्शायी दरों का दो गुना किराया देय होगा।

नियम 8 : अन्य व्यक्तियों का अधिवास – उपरोक्त नियम 4 से 7 में सम्मिलित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भवन में स्थान उपलब्धता के आधार पर आवासीय आयुक्त के आदेश पर अधिकतम तीन दिन की अवधि के लिये कक्ष दिया जा सकेगा। इन व्यक्तियों से परिशिष्ट–3 में दर्शायी गई दरों पर शुल्क अग्रिम लिया जावेगा। इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिये आवासीय आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी।

नियम 9 : चिन्हाकित (ईयर मार्क) कक्षों में अधिवास का अधिकार – ईयर मार्क कक्ष केवल संबंधित अतिथियों के उपयोगार्थ उपलब्ध रहेंगे।

नियम 10 : अनाधिकृत अधिवासियों का निष्कासन, निषेध तथा अन्य शक्तियाँ – यदि कोई अधिवासी अनाधिकृत रूप से भवन में ठहरा हुआ है, ऐसी स्थिति में उससे कक्ष खाली कराया जावेगा एवं उसकी अधिवास की सम्पूर्ण अवधि के लिये परिशिष्ट–3 में दर्शायी गई दरों से दो गुनी दर पर शुल्क लिया जायेगा। किसी अधिवासी के अनुचित एवं अमर्यादित व्यवहार के कारण उसका आवंटन तुरंत निरस्त कर कक्ष रिक्त करवाने एवं उसका अधिवास भविष्य में निषेध करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेष परिस्थितियों में आरक्षण से संबंधित अन्य निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार आवासीय आयुक्त के अधीन रहेगा।

नियम 11 : अधिवास के लिये अन्य व्यवस्थाऐं –

(1) भवनों के रहवास के संदर्भ में चेकआउट समय दोपहर 12:00 बजे होगा।

(2) सभी प्रकार की टूट–फूट के लिये अथवा वस्तु गुम हो जाने पर वस्तु की कीमत तथा उस पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित अधिवासी से लिया जायेगा। सभी वस्तुओं की कीमतों की सूची भवन में उपलब्ध होगी।

(3) अधिवासियों द्वारा भवन का कोई फर्नीचर या अन्य कोई वस्तु निर्धारित कक्ष से बाहर नहीं हटाई जायेगी।

(4) भवन के लिए अग्रिम आरक्षण, अन्य भवनों/होटलों आदि में आवश्यकतानुसार अनुबंध/आरक्षण, स्वागतकक्ष में आरक्षण पंजी संधारित करने तथा भोजन आदि व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यपालिक निर्देश आवश्यकतानुसार समय–समय पर आवासीय आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट–1

(देखें नियम–4)

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो कर्तव्य पर प्रवास पर भवन में अधिवास करने के हकदार है :–

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
   उप मुख्यमंत्री
   विधान सभा अध्यक्ष
4. मंत्री
   मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता
5. राज्य मंत्री
   मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष
6. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
   लोकायुक्त
   मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त
7. उप मंत्री
   संसदीय सचिव
   महाधिवक्ता
8. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश माध्यमस्थम अभिकरण के अध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष,
   राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष
9. मंत्री के समकक्ष
10. राज्यमंत्री के समकक्ष
11. विधायक
12. मुख्य सचिव
    अपर मुख्य सचिव
    अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल,
    अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
    राज्य निर्वाचन आयुक्त,
    अध्यक्ष, विद्युत नियामक आयोग,
    मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारी,
    महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. प्रशासन अकादमी,
    अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
    अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक परीक्षा मण्डल,
    महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल,
    उप लोकायुक्त,
    मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त,
    अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश

13. प्रमुख सचिव तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा,
पुलिस महानिदेशक तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी

14. राज्य शासन के सचिव तथा उनके समकक्ष अधिकारी (विभागाध्यक्ष) एवं सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा,
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय,
संभागीय आयुक्त,
पुलिस महानिरीक्षक
मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य,
राज्य शासन के अपर सचिव एवं उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी (विभागाध्यक्ष) तथा
अपर सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा।

15. कलेक्टर,
उप पुलिस महानिरीक्षक,
वन संरक्षक,
राज्य शासन के उपसचिव,
मध्यप्रदेश के उप महाधिवक्ता

16. पुलिस अधीक्षक,
राज्य शासन के उपसचिव के समकक्ष अधिकारी एवं उप सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा।

17. राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक एवं मण्डलों/आयोगों/
अभिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्य (सशुल्क)

18. मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, (सशुल्क)
मध्यप्रदेश के जिला पंचायतों के अध्यक्ष, (सशुल्क)
मध्यप्रदेश के नगर निगमों के महापौर (सशुल्क)

19. राज्य शासन तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी।

20. राज्य शासन तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी।

उपरोक्त परिशिष्ट के व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी शिष्टाचार वरीयता क्रम (order of precedence) के अनुरूप अग्रता कम में मांग पूर्ति के बाद अन्य शासकीय सेवकों को स्थान उपलब्धता के आधार पर शासकीय कार्य से प्रवास पर निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी। कर्त्तव्य पर प्रवास करने हेतु परिशिष्ट–1 के सरल क्र. 1 से 8 को छोड़कर शेष सभी को शासकीय कार्य से प्रवास का प्रमाणीकरण अभिलेख आरक्षण हेतु आवासीय आयुक्त कार्यालय में अग्रिम भेजना होगा अथवा स्वागतकक्ष में आगमन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशुल्क आवास की पात्रता नहीं होगी एवं निर्धारित शुल्क लिया जावेगा।

———

परिशिष्ट–दो
(देखें नियम–5)

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो निर्धारित शर्तों पर अवकाश या निजी कार्य से प्रवास पर भवन में कक्ष उपलब्धता के आधार पर अधिवास के हकदार हैं :–

स.क्र. (1)	प्रवर्ग (2)	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें (3)
1.	मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री,।	एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 30 दिवस निःशुल्क। अतिरिक्त अवधि के लिये परिशिष्ट–3 के अनुसार शुल्क देय होगा।
2.	(अ) परिशिष्ट–एक में दर्शाये अन्य सभी वर्तमान में सेवारत् एवं सेवानिवृत्त सेवकों के लिए (ब) मध्यप्रदेश के वर्तमान/पूर्व सांसद एवं विधायकगण (स) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित मध्यप्रदेश के निवासी सैनिक (द) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (ड) प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो को दिल्ली में साक्षात्कार की तैयारी हेतु।	एक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस परिशिष्ट–तीन में दर्शायी दरों से आधी दरों पर शुल्क लिया जायेगा, अतिरिक्त अवधि के लिए परिशिष्ट–तीन में दर्शायी दरों से शुल्क देय होगा।

टीप – परिशिष्ट क्रमांक 1 में उल्लेखित व्यक्तियों की मांग–पूर्ति के बाद उपरोक्त व्यक्तियों को पात्रता होगी।

परिशिष्ट–तीन
(किराये की दरें)
(क) (कक्ष किराये की दरें)

अनु.क्र. (1)	कक्ष की श्रेणी (2)	किराये की दर प्रति दिन (3)
1.	"ए" श्रेणी	रूपये 2,000/–
2.	"बी" श्रेणी	रूपये 1,000/–
3.	"सी" श्रेणी	रूपये 500/–
4.	"डी" (डारमेटरी)	रूपये 300/–
5.	अतिरिक्त विस्तर	रूपये 200/–

(ख) (अन्य सुविधाओं की किराये की दरें)

6.	कालीदास एवं शाकुन्तलम (समग्र)	रूपये 15,000/—*
7.	शाकुन्तलम (फोयर क्षेत्र)	रूपये 10,000/—*
8.	मेघदूत (छोटा समिति कक्ष)/मध्यप्रदेश भवन समिति कक्ष	रूपये 10,000/—*
9.	मधुबन (आंगन क्षेत्र)	रूपये 5,000/—*

* कालीदास (बहुउद्देशीय कक्ष), शाकुन्तलम, मेघदूत, मधुबन किराये पर लेने हेतु प्रथक से आरक्षण प्रपत्र भरना एवं उसमें दर्शायी शर्तें बाध्यकारी होगीं। कालीदास (बहुउद्देशीय कक्ष) में Audio-Video System उपयोग करने पर रूपये 4,000/— प्रति दिन की दर प्रथक से देय होगी।
* वर्तमान मध्यप्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व विधायकों, तथा सेवारत/सेवानिवृत्त सेवकों के केवल स्वतः के उपयोग के लिये उक्त दरों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जायेगी।
* एक दिवस में लगातार चार घंटें अधिकतम के उपयोग पर उपरोक्त दरों की 50 प्रतिशत दरें देय होगी।

परिशिष्ट—चार

मध्यांचल में समूह अथवा थोक आरक्षण (3 अथवा 3 से अधिक कक्षों के लिए आरक्षण) कक्ष उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा उनकी दरें निम्नानुसार होगीं।

अनु.क्र. (1)	कक्ष श्रेणी (2)	किराये की दर (3)	विवरण (4)
1.	ए श्रेणी	रूपये 3000/— *	किराये की दर में सुबह के दो व्यक्तियों के लिये मानार्थ (Complimentary) शाकाहारी नाश्ता सम्मिलित।
2.	बी श्रेणी	रूपये 2000/— *	किराये की दर में सुबह के दो व्यक्तियों के लिये मानार्थ (Complimentary) शाकाहारी नाश्ता सम्मिलित।

* इस राशि में से रूपये 300/— प्रति कक्ष प्रतिदिन मानार्थ (Complimentary) शाकाहारी नाश्ते हेतु व्यय के लिये प्रथक से भवन द्वारा संधारित किया जावेगा।

टीप —

1. उपरोक्त आरक्षण हेतु पूर्णाधिकार आवासीय आयुक्त के पास सुरक्षित होगा एवं इस संदर्भ में कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
2. वर्तमान मध्यप्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायको तथा सेवारत/सेवानिवृत्त सेवकों के केवल स्वतः के उपयोग करने पर परिशिष्ट—3 की दरें एवं इस परिशिष्ट की निरस्तीकरण की शर्तें लागू होगीं।
3. समूह/थोक आरक्षण की शर्त होगी कि आरक्षण पुष्ट होने पर 3 दिवस में आरक्षण अवधि के लिये देय राशि का 25 प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर, चैक के माध्यम से अग्रिम भुगतान करना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आरक्षित अवधि से 60 दिवस पूर्व डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा एवं यदि आरक्षण अवधि 60 के भीतर है तो आरक्षण पुष्टि होने पर 2 दिवस में आरक्षित अवधि के लिये देय राशि का पूर्ण भुगतान दो प्रथक डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक क्रमशः 25 प्रतिशत राशि एवं 75 प्रतिशत अग्रिम राशि का जमा करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही आरक्षण की पुष्टि मानी जावेगी।

   समूह/थोक आरक्षण पुष्टि होने के पश्चात् आरक्षण निरस्त करने पर निम्नानुसार राशि ही वापस हो सकेगी—

निरस्त की सूचना	वापिस की जाने वाली राशि
30 दिन अथवा 30 दिन से अधिक की अवधि पर	75 प्रतिशत
29 से 15 दिन की अवधि पर	50 प्रतिशत
14 से 06 दिन की अवधि पर	25 प्रतिशत
05 दिन से कम की अवधि पर	शून्य

   आरक्षण तिथियों में परिवर्तन आरक्षण निरस्त किया माना जावेगा एवं उपरोक्त वापिस की जाने वाली राशि की शर्तें यथावत रहेंगी।
4. समूह/थोक आरक्षण को अपरिहार्य स्थिति में निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आवासीय आयुक्त को रहेगा।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.